बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग
–: अधिसूचना (संशोधित) :–

अधिसूचना सं0:– कौन/भी–144/2023 21/वा॰ पटना, दिनांक– 10.1.25

श्री अरूण नाथ, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, सिवान अंचल, सिवान सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल(अंकेक्षण), भागलपुर के द्वारा दिनांक–23.12.2023 को सिवान अंचल में बिना पूर्वानुमति के वाहन निरीक्षण कार्य करने एवं निरीक्षण के उपरांत वाहन संख्या–BR01GF-5411 पर लदे माल के विरूद्ध परिवहन के समय वांछित कागजात नहीं होने के बावजूद बिना किसी कार्रवाई के वाहन को छोड़ देने के उनके कृत्य को बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा–68, धारा–129 एवं नियम–138(बी) का उल्लंघन तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1)(i)(ii)(iii) के प्रतिकूल पाते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–391 दिनांक–28.12.2023 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग–IV के नियम–9(i)(क) के तहत निलंबित किया गया।

निलंबन के उपरांत उक्त आरोप के लिए उनसे विभागीय पत्रांक–68/सी दिनांक–13.03.2024 द्वारा बचाव अभिकथन की मांग की गयी। श्री नाथ से प्राप्त बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत इसे स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–231/सी दिनांक–26.07.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 मे निहित प्रावधानों के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

श्री अरूण नाथ, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, सिवान अंचल, सिवान (निलंबित) को अधिसूचना ज्ञापांक–233/सी दिनांक–26.07.2024 द्वारा निलंबन से मुक्त कर दिया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री अरूण नाथ, राज्य कर सहायक आयुक्त के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षोपरांत इससे सहमत होते हुए श्री अरूण नाथ, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, सिवान अंचल, सिवान सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल(अंकेक्षण), भागलपुर को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री अरूण नाथ, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, सिवान अंचल, सिवान सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल(अंकेक्षण), भागलपुर को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक–231/सी दिनांक–26.07.2024 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(कृष्ण कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– कौन / भी–144 / 2023 21 / वि॰ पटना, दिनांक– 10·1·25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(ले0 एवं हक0) का कार्यालय, बिहार, पटना / वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को पूर्व में प्रेषित विभागीय अधिसूचना सं0–11 / सी दिनांक–09.01.2025 में अंकित हस्ताक्षर की तिथि संशोधनोपरान्त संशोधित अधिसूचना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(कृष्ण कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– कौन / भी–144 / 2023 21 / वि॰ पटना, दिनांक– 10·1·25

प्रतिलिपिः–माननीय उपमुख्य मंत्री, वाणिज्य–कर विभाग के प्रधान आप्त सचिव / राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सी०डी० सहित दो प्रतियों में (आई0टी0 मैनेजर के माध्यम से) / विशेष कार्य पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना शाखा / राज्य कर संयुक्त आयुक्त–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन कोषागार, पटना / वाणिज्य–कर सयुंक्त आयुक्त (अंकेक्षण),भागलपुर / जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर / प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना शाखा / आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं श्री अरूण नाथ, राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल (अंकेक्षण), भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ses 10/1/25
(कृष्ण कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग
बिहार, पटना।